

कार्यालय:—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ (म.प्र.)

जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ (म.प्र.) फ़ोन. 07372-233090

Email:- secdirjg@mp.gov.in

क्रमांक / 12⁰² / एल.ए.डी.सी. / जिविसेप्रा / 2026,

राजगढ़, दिनांक:— 15.04.2026

// विज्ञप्ति //

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ म.प्र. हेतु संविदा आधार पर ड्राइवर की भर्ती हेतु सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्र. फा.नं. 337 / स्था. / राविसेप्रा. / 126 / 2026, जबलपुर दिनांक 09.04.2026 के पालन में बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा वाहन चालक 01 पद की नियुक्ति के लिए संविदा आधार पर 02 वर्ष के लिए आफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके लिए सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी:—

01:— आवेदन जारी करने की तिथि:— दिनांक 16.04.2026 से

02:— आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:— 30 / 04 / 2026

03:— पद का नाम:— ड्राइवर (वाहन चालक) संविदा आधार पर

04:— शैक्षणिक अर्हता:— न्यूनतम 10 वीं पास

अन्य अर्हताएँ:—

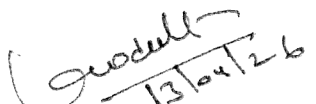
05:— भारत का नागरिक हो।

- दिनांक:— 01.01.2026 आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो।
- वैद्य ड्रायविंग लायसेंस हो।
- समस्त प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव हो।
- मैकेनिकल योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता।

06:— वेतनमान:—

राजगढ़ शहर “श्रेणी-सी” हेतु 02 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर के लिए मानदेय रु.12000 /— होगा।

- 01— भर्ती मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2009 के नियम 06(2) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- 02— यह संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात् एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा अवधि के पश्चात् नियमित नियुक्ति निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 03— संविदा चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में संक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।
- 04— संविदा चालक के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
- 05— संविदा चालक की नियुक्ति की संपूर्ण कार्यवाही प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार की जावेगी।
- 06— संविदा चालक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 07— आवेदन का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ म.प्र. कार्यालय से तथा जिला न्यायालय राजगढ़ की वेबसाइट <https://rajgarh.dcourts.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की अधिकृत वेबसाइट <https://mpslsa.gov.in> पर भी अपलोड कराये जाने के प्रयास किये गये हैं, उपलब्धता अनुसार उक्त वेबसाइट से भी आवेदन का प्रारूप व सेवा शर्तों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय राजगढ़ में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ म.प्र. में अंतिम दिनांक 30/04/2026 तक सांय 05 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा उचित माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं।
(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)


(देव दत्त)

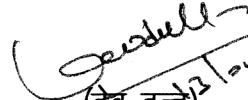
न्यायाधीश/सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय, राजगढ़ (म.प्र.)

पृ० क्रमांक / 1201/स्था./जिविसेप्रा/2026,
प्रतिलिपि:—

राजगढ़, दिनांक:— 15.04.2026

- ✓ 01— श्रीमान् प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय राजगढ़ म.प्र. की ओर जिला एवं सत्र न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
02— जन संपर्क अधिकारी, समस्त समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन हेतु प्रेषित।
03— कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु ।


(देव दत्त) 15/04/26

न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय, राजगढ़ (म.प्र.)

4